

संख्या-447/2026/आर0एफ0-531/नौ-9-2026/013-ई-1948524

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,

नगर पंचायत,

दोहरीघाट, मधुवन, जनपद-मऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में 'पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना' अनुदान संख्या-37 से ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर पंचायतों के कार्यों/परियोजनाओं हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सन्दर्भित नगरीय निकायों द्वारा पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। उपर्युक्त निकायों द्वारा प्रस्तुत परियोजना के आगणन/प्रस्ताव, कुल लागत धनराशि ₹ 488.24 लाख (रूपये चार करोड़ अट्ठासी लाख चौबीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्ययोजना में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 24 प्रतिशत की धनराशि ₹ 113.46 लाख (रूपये एक करोड़ तेरह लाख छियालीस हजार मात्र) अनुदान संख्या-37, पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा० राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

तालिका-1
नगर पंचायत

अनुदान संख्या-37

(धनराशि लाख ₹० में)

क्र० सं०	निकाय/जनपद का नाम	मद/कार्य	कार्य/सड़क की लम्बाई	निकायों से प्राप्त डी०पी० आर० के अनुसार कार्यों की	स्तम्भ-(5) के सापेक्ष कार्ययोजना में अनुमोदित धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत

(1)	(2)	(3)	(मीटर में)	प्राक्कलित लागत/ प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति	(6)	की जा रही 24 प्रतिशत धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर पंचायत, दोहरीघाट, जनपद-मऊ	1. वार्ड न0-02 मु0 नवापुरा अहिरौटी में राजेश चौरसिया के मकान से धनु यादव का मकान होते हुए जितेन्द्र यादव के पुराने मकान तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण व सी0सी0 रोड का कार्य।	100	13.23		
		2. वार्ड न0-03 सम्मिलित मुहल्ला में मोहन जयसवाल के मकान से विनोद जयसवाल के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	200	23.61		
		3. वार्ड न0-3 मु0 सम्मिलित मुहल्ला में विनोद जायसवाल के मकान से लाल बिहारी दूबे के अहाता तक सी0सी0 रोड का निर्माण का कार्य।	10	5.75		
		4. वार्ड न0-3 मु0 सम्मिलित मुहल्ला में क्रय विक्रय समिति के बगल से सरकारी डाक्टर्स का आवास होते हुए स्वामी विवेकानन्द स्कूल तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	100	20.68		
		5. वार्ड न0-3 मु0 सम्मिलित मुहल्ला में प्रेम प्रकाश यादव के मकान से छठठू सोनकर के मकान के आगे तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	100	14.63		
		6. वार्ड न0-3 मु0 सम्मिलित मुहल्ला में टीचर कालोनी बिल्डिंग से गणेश सोनकर के खेत तक सी0सी0 का रोड निर्माण कार्य।	75	27.54		
		7. वार्ड न0-3 मु0 सम्मिलित मुहल्ला में प्रेम प्रकाश यादव के मकान से हठठू सोनकर के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	180	9.53		
		8. वार्ड न0-3 मु0 सम्मिलित मुहल्ला में टीचर्स कालोनी गेट से हठठू सोनकर के मकान तक कवर्ड नाली निर्माण व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	65	12.77		
		9. वार्ड न0-5 मु0 नवापुरा में पंचदेव यादव के मकान से गोरख गुप्ता के मकान तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण व आर सी0सी0 रोड का कार्य।	50	3.85		
		10. वार्ड न0-6 मु0 कमलातिवारी पूरा में मुक्तिधाम गेट के शीतला माता मन्दिर तक रोड के दोनों पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	400	14.55		
		11. वार्ड न0-6 मु0 कमलातिवारी पूरा में रामजानकी शिव मन्दिर से लेकर शीतला माता मन्दिर तक सी0सी0 रोड का कार्य।	300	34.66		
		12. वार्ड न0-06 मु0 कमलातिवारी पूरा में श्रीराम फुलकी वाले के मकान से जयराम गुप्ता के मकान तक कवर्ड आर0सी0सी0 मिनी नाला निर्माण का कार्य।	70	4.56		
		13. वार्ड न0-06 मु0 कमलातिवारीपूरा में राधे श्याम गुप्ता के मकान से जयराम गुप्ता का मकान होते हुए सुनील वर्मा के मकान श्रीराम फुलकी वाले के मकान तक सी0सी0 रोड का कार्य।	260	15.55		

		14. वार्ड नं0-7 मु० भगवानपुरा में नन्दु चौरसिया के मकान से मन्दू मद्धेशिया के मकान तक कवर्ड आर० सी० सी० नाली निर्माण व सी0सी0 रोड का कार्य।	50	3.29		
		योग		204.20	200.00	48.00
2	नगर पंचायत, मधुबन, जनपद-मऊ	1. वार्ड नं0 7 मेन रोड से प्राइमरी स्कूल होते हुये डीह बाबा के स्थान के पास पिपल के पेड़ तक 7 मी० ओक्टागोनल सिंगल आर्म के साथ स्ट्रीट लाईट भूमिगत केबल के माध्यम से अधिष्ठापन का कार्य।	25	15.71		
		2. वार्ड नं0 6 गांगेवीर में विशाल के घर से तिनपुरवा तक 7 मी० ओक्टागोनल सिंगल आर्म के साथ स्ट्रीट लाईट भूमिगत केबल के माध्यम से अधिष्ठापन का कार्य।	25	15.71		
		3. वार्ड नं0 6 गांगेवीर में मेन रोड से लाल बहादुर मल्ल के घर तक 7 मी० ओक्टागोनल सिंगल आर्म के साथ स्ट्रीट लाईट भूमिगत केबल के माध्यम से अधिष्ठापन का कार्य।	10	6.34		
		4. वार्ड नं0 5 उसुरी में मूला मेडिकल स्टोर के घर से डब्बू चौधरी के घर होते हुये प्राथमिक विद्यालय तक 7 मी० ओक्टागोनल सिंगल आर्म के साथ स्ट्रीट लाईट भूमिगत केबल के माध्यम से अधिष्ठापन का कार्य।	20	12.72		
		5. वार्ड नं0 01 उफरौली बाईपास रोड जयप्रकाश मल्ल के खेत से घोसी मेन रोड तक 7 मी० ओक्टागोनल सिंगल आर्म के साथ स्ट्रीट लाईट भूमिगत केबल के माध्यम से अधिष्ठापन का कार्य।	20	12.72		
		6. वार्ड नं0 15 मेन रोड सत्येन्द्र मौर्या बीज भण्डार के दुकान से सरस्वती शिशु मन्दिर तक 7 मी० ओक्टागोनल सिंगल आर्म के साथ स्ट्रीट लाईट भूमिगत केबल के माध्यम से अधिष्ठापन का कार्य।	40	25.45		
		7. वार्ड नं0 11 ककराडीह में डोमरहुआ पर 1 अदद 16 मी० हाई मास्ट लाईट अधिष्ठापन का कार्य।	1 N	6.32		
		8. वार्ड नं0 14 नरायनपुर डीह बाबा मन्दिर पर 1 अदद 16 मी० हाई मास्ट लाईट अधिष्ठापन का कार्य।	1 N	6.32		
		योग		101.29	100.00	24.00
3	नगर पंचायत, मधुबन, जनपद-मऊ	1. वार्ड नं0 03 मु० खीरीकोठा में बाग्बे क्लब से अमर शहीद चेतना तक कवर्ड नाला व सी०सी० रोड का निर्माण।	200	24.09		
		2. वार्ड नं0 11 मु० ककराडीह में विनय साहनी के मकान से खेत तक कवर्ड नाला व सी०सी० रोड का निर्माण।	50	11.52		
		3. वार्ड नं0 06 मु० गांगेवीर में मेन रोड से लालबहादुर मल्ल के मकान तक सी०सी० रोड का निर्माण।	50	14.45		
		4. वार्ड नं0 02 मु० चन्दनपट्टी में मेन रोड से मंकाेश के मकान तक सी०सी० रोड का निर्माण।	50	8.79		
		5. वार्ड नं0 05 मु० उसुरी में दुर्गा प्रसाद के मकान से नुरुल मियां के मकान तक सी०सी० रोड का निर्माण।	50	13.91		
		योग		72.76	72.76	17.46
4	नगर पंचायत, मधुबन, जनपद-मऊ	1. वार्ड नं0 06 मु० गांगेवीर में विशाल के मकान से तिनपुरवा तक सी०सी० रोड का निर्माण।		54.85		
		योग		54.85	50.00	12.00
5	नगर पंचायत, मधुबन, जनपद-मऊ	1. वार्ड नं0 02 मु० चन्दनपट्टी में मधुबन दोहरीघाट मुख्य मार्ग से फेकू के मकान के पास तक सी०सी० रोड का निर्माण।		33.05		
		2. वार्ड नं0 05 मु० उसुरी में चन्द्रकान्त चौरसिया के खेत से प्रा० विद्यालय तक सी०सी० रोड का निर्माण।		22.09		
		योग		55.14	50.00	12.00
		कुल योग		488.24	472.76	113.46

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-बी-4-918/दस-2006-8/1965टी0सी0 दिनांक-21.09.2006 की व्यवस्थानुसार 03 वर्ष के मॉरीटोरियम के पश्चात दस समान वार्षिक किश्तों में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत निकायों को प्राप्त होने वाली धनराशि से समायोजन द्वारा वापसी सुनिश्चित की जायेगी।
- (2) संबंधित निकाय द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0/आगणन में प्रस्तावित/प्राक्कलित लागत एवं योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही कुल धनराशि के अन्तर की धनराशि निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से वहन की जायेगी।
- (3) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्य हेतु व्यय की जायेगी।
- (4) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 व डिपॉजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।
- (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायगा अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय का होगा सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायगा।
- (6) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं एवं मानकों को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससयम पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- (8) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर डिस्पले बोर्ड पर योजना का नाम अर्थात् पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जाएगा। कार्य योजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।
- (9) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प0 लखनऊ के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- (10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समपवद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए। सामग्री/ उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाएगा। विद्युत कार्यों के लिये शासनादेश संख्या-1383/ 9-9-14-943/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या-227/2015/1689-नौ-8-2015-96/2015, दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

- (11) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
 - (12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
 - (13) निष्पयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
 - (14) स्वीकृत कार्यों के लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी।
 - (15) प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा तथा आकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
 - (16) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
 - (17) योजनान्तर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-6/2025/वी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27 मार्च, 2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
 - (18) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 दिसम्बर, 2026 तक सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
 - (19) आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अधिशासी अधिकारी/अभियंता उत्तरदायी होंगे।
 - (20) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जायें।
 - (21) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग नीति आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस० सी०एस०टी०/टी०एस०सी० हेतु निर्धारित मानक व दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाये।
 - (22) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग शासनादेश संख्या-1319/नौ-9-21-457/21, दिनांक- 30.06.2021 तथा यथा-संशोधित शासनादेश संख्या-1125/नौ-9-2025/45/2021-ई-1749112, दिनांक- 04.06.2025 एवं संख्या-1124/नौ-9-2025/45ज/2021-ई-1749112, दिनांक- 04.06.2025 द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure SOP) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।
 - (23) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये, जिससे टाइम ओवर रन एवं कॉस्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 113.46 लाख (रुपये एक करोड़ तेरह लाख छियालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 6215021930500 पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-666-X-2025-26-दिनांक:31-3-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by भवदीय,
SANJAY KUMAR TIWARI
Date: 31-03-2026
15:41:33

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- /2026/आर0एफ0- /नौ-9-2026/013-ई-1948524, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
9. कोषाधिकारी, जनपद-मऊ।
10. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
11. पी0एम0यू0 यूनिट/वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report


वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-31/03/2026

प्रेषण संख्या:- 447
आवंटन आदेश संख्या:- 001-447-2026-RF-531-9-9-2026-013-E-1948524
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेतर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	मऊ-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	11346000	11346000
		प्रगामी	149704500	149704500
	योग	वर्तमान	11346000	11346000
		प्रगामी	149704500	149704500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ तेरह लाख छियालीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौदह करोड़ सत्तानवे लाख चार हजार पाँच सौ


(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव